

12. प्रौद्योगिक महाविद्यालय को जिन मध्य से 4 जिन स्थानों के लिए स्वीकृति दी गई है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
13. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया हेतु निर्धारित एप्लीकेशन से सम्बन्धित किया जाये।
14. विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/विद्यार्थी को पालना करना अनिवार्य होगा।
15. मैनेजमेंट हेतु कृषि में सीटों का कोई आवंटन नहीं होगा।
16. मूल कृषि का प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त कर सम्बन्धित प्रमाण स्वीकृत होगा तथा इन तीन वर्ष परम्परागत प्रकृष्टता स्वीकृतिकरण कराया होगा।
17. शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक प्रमाण प्रक्रिया की सम्बन्धित व महाविद्यालय के विद्यार्थी का किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण कर सकेगा।
18. प्रौद्योगिक महाविद्यालय हेतु निर्धारित निर्जल कण्ड में एक लाख रु. की राशि सम्बन्धित महाविद्यालय एवं संस्था के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। इन राशि की पूर्ति किये बिना महाविद्यालय में प्रवेश देना नहीं होगा।
19. सभी भी आवश्यकता पड़ने पर निर्जल कण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों को पालना करना अनिवार्य होगा।
20. एनसीटीई से सम्बन्धित प्रमाण प्रक्रिया प्रौद्योगिक महाविद्यालय प्रमाण करने के लिए संस्था द्वारा स्वयं के माध्यम से 10 लाख रु. की राशि 5 वर्षों के लिए स्वीकृति प्राप्त होगी। संस्था विभिन्न प्रौद्योगिक महाविद्यालयों के माध्यम से हेतु स्वीकृति प्राप्त होगी 5 लाख रु. होगी। प्रत्येक 5 वर्ष परम्परागत प्रकृष्टता स्वीकृतिकरण कराया जायेगा। विभाग की स्वीकृति प्राप्त की स्वीकृति प्राप्त की स्वीकृति का सकेगी।
21. सभी भी आवश्यकता पड़ने पर निर्जल कण्ड की राशि का उपयोग करने हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों को पालना करना अनिवार्य होगा।
22. राज्य सरकार की ओर से दिए हेतु किसी प्रकार का अवकाश देना नहीं होगा।
23. शीट हेतु मध्य प्रशासन एवं राज्य एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकानुसार प्रमाण होगा।
24. आवश्यकतापूरुषात कृषि-कृषि स्वीकृति प्रमाण कराया जाये।
25. विभाग एवं महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं का निर्माण एवं सुसज्जित किया जाये।
26. प्रौद्योगिक महाविद्यालय से सम्बन्धित निर्देशों/विद्यार्थी को पालना करना अनिवार्य होगा।

अधीन



(एक से अधिक)
प्रशासन सचिव-प्रधान

प्रतिनिधि निम्न की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री/शिक्षा राज्य मंत्री/प्रमुख प्रशासन सचिव
3. राज्य सचिव, मुख्य प्रशासन सचिव/महाविद्यालय, अजमेर।
4. निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
6. सम्बन्धित शिक्षा विभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
7. सम्बन्धित संस्था
8. शिक्षा प्रशासकी


निदेशिका-विभाग

• वर्ष 2008-2009 के लिए नये बी0एड0 / विद्या शाली महाविद्यालयों की अगामी प्रमाण पत्र जारी की जाने वाली संख्याओं की सूची -

क्र.सं.	पत्रों का नाम	अभ्यर्थक संस्था का नाम	अभ्यर्थक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रकार		एन.ओ.सी. की प्रमाणित सीटें
			सांख्यिक / महिला	बी.एड. / विद्याशाली	
1.	जिला	पुनर्गठन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
2.		बी.एड. कॉलेजियल की एम. कॉलेज स्त्री शिक्षण एवं अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
3.		बी.एड. कॉलेजियल पुनर्गठन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
4.		बी.एड. प्रमाण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
5.		पुनर्गठन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पुनर्गठन शिक्षण एवं बी.एड. अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
6.		राजधानी टी.टी. कॉलेज शिक्षण दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
7.		बी.एड. कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय राजधानी अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
8.	30 नवंबर	बी.एड. कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनुसंधान दिल्ली	महिला	बी.एड.	100 सीटें
9.	जिला	पुनर्गठन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय राजधानी कॉलेज	महिला	बी.एड.	100 सीटें
10.		बी.एड. कॉलेजियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय राजधानी	महिला	बी.एड.	100 सीटें

- 1 - 12-11

367	सिद्धि भूत विना प्रतिष्ठापन प्रमाणिका को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
368	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
369	सिद्धि भूत विना प्रतिष्ठापन प्रमाणिका को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
370	सिद्धि भूत विना प्रतिष्ठापन प्रमाणिका को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
371	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
372	सिद्धि भूत विना प्रतिष्ठापन प्रमाणिका को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
373	सिद्धि भूत विना प्रतिष्ठापन प्रमाणिका को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
374	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
375	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
376	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
377	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें
378	सिद्धि भूत विना को. १०००, १००० को. १०००	सर्वोच्च	बी. ए. ए.	१०० सीटें

२७ - २७ -